न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0
दावा सं.:—395/2012

तुरसीराम पुत्र प्यारेलाल जाति बघेल निवासी ग्राम नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम
2. गोपीचंद
3. रमनलाल
4. नटवरलाल

पिसरान बाबूलाल जाति बघेल निवासी ग्राम नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

5. प्रेमवती पत्नी रामसिंह
6. गोमा पत्नी सोहनलाल नौगया
7. प्रेमकुमारी पत्नी गिर्राजसिंह

जाति बघेल निवासी ग्राम तहसील व जिला भरतपुर।

8. रामसिंह
9. सूरजमल

पिसरान हीरालाल

10. बलवीर सिंह पुत्र भूरीसिंह
11. गंगा सिंह पुत्र बलवीर सिंह
12. सहदेव उर्फ सुभाष पुत्र भूरीसिंह
13. नाहरसिंह पुत्र भूरीसिंह

जाति ठाकुर निवासी ग्राम नौगाया तहसील व जिला भरतपुर।

14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 88—89—188,53(अ) राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—07.02.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 89,89, 188 व 53(अ) आरटीए इस आशय का पेश किया है।

आराजी खसरा नंबर 1461/0.35, 1462/0.27, 1463/0.29 वाके ग्राम नौगाया तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जो बलवीरसिंह, भूरीसिंह पिसरान झरगदा 1/3 हि. राधेश्याम गोपीचंद रमनलाल नटवरसिंह व हिस्सा बराबर 1/6 वादी तुरसी 1/6 धर्मसिंह अमरसिंह महेन्द्र 1/3 हिस्से के हिस्सेदार एवं खातेदार थे। बलवीरसिंह एवं भूरीसिंह ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण 5 लगायत 9 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया जिनके नाम नामान्तकरण दर्ज हो गया।

विवादग्रस्त आराजी से 1/6 हिस्सा वादी ने गंगासिंह पुत्र बलवीरसिंह से जरिये रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 08.11.96 को खरीद कर मौके पर दखल व कब्जा लिया एवं वादी के नाम दाखिल खारिज न0 188 से जमाबन्दी खाता सं0 73 में अंकन हो गया।

विवादग्रस्त आराजी खसरा न0 1461/0.35, 1462/0.27, 1463/0.29 का विक्रय पत्र सम्मलित में वादी को 1/6 हिस्सा यानी 15"2 ऐयर का हुआ इस आराजी का कभी कोई विभाजन राजस्व रिकार्ड में मुताबिक कानून नही हुआ लेकिन राजस्व कर्मचारीगण पटवारी हल्का से बिना विभाजन के सभी के नाम अलग–अलग तरीके से ऐयरों के आधार पर दाखिल खारिज दर्ज कर दिया लेकिन वादी का नामान्तकरण 1/6 हिस्सा के आधार पर सम्मलित आराजी में दर्ज किया इस प्रकार वादी 15"2 ऐयर की खातेदारी मुताबिक वयनामा 91 ऐयर रकवा से 1/6 भाग मे आये रकवा के आधार पर करा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण न0 11, 12 का मुताबिक हिस्सा 91 में 1/6 हिस्सा था जिसको 15"2 ऐयर ही रकवा हिस्से में मिलना था जिन्होने बिना विभाजन कराये आराजी खसरा न0 1461/0.35 को समस्त को जरिये विक्रय पत्र प्रतिवादीगण न0 8 व 9 को दिनांक 17.06.2000 को विक्रय कर दिया जो विक्रय पत्र खिलाफ कानून है एवं वादी के प्रति वातिल व वेअसर है जो शून्य है जिसे वादी वातिल व बेअसर करार करा पाने का अधिकारी है।

वादी के नाम दाखिल खारिज होने के बाद राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्ठियां प्रतिवादीगण के नाम हो जाने से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल नही हो पाया है। वादी पढा लिख नही होने से जानकारी नही हो सकी अब प्रतिवादी न. 10, 11 ने दावा न्यायालय में पेश किया तथा वादी ने सभी नकूलात निकलवाई तो गलत इन्द्राजात की जानकारी हुई । अतः दावा दुरूस्ती इन्द्राजात करना जरूरी हुआ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभी तक कानूनी तरीके से आराजी का विभाजन नही हुआ है। मौके पर अलग अलग काबिज है। रिकार्ड में गलत इन्द्राजात होने से आपसी मन मुटावा बना हुआ है। वादी अपना 1/6 हिस्सा मुताबिक विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में अलग 15.2 ऐयर करा पाने का अधिकारी है।

प्रतिवादी न0 13 से किसी प्रकार की दादरसी नही चाही है। लेकिन जमीन के मालिक होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 1461/0.35, 1462/0.27, 1463/0.29 से 1/6 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र खरीद किया है । उसके आधार पर मनवट खसरा नम्बर 1461/0.35 से 1/35 पर,1463/0.29 से 14 पर ऐयर पर काबिज है । तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व हिस्सा बराबर मुताविक मनवट खसरा नम्बर 1463/0.29 से 15 ऐयर पर काबिज है जो कि प्रतिवादी नम्बर 8,9 के नाम इन्द्राज खातेदारी राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे हैं जो कि गलत हैं । उन्हें कलमजन किया जाकर उस स्थान पर 1/35 ऐयर पर विभाजन कर खातेदारी मुताविक कब्जा वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में किया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी 2064–67,2052–2055,नकल नामान्तरकरण व वयनामा की छायाप्रति पेश की है ।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया । दिनॉक 07.12.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4,10 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और जबाव को समय चाहा । प्रतिवादी संख्या 5,8,9 एवं 11 लगायत 14 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण दिनॉक 18.02.2013 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 10 का जबाव न आने पर दिनॉक 02.02.2016 को इनका जबाव बंद कर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई । किन्तु साक्ष्य वादी में भी कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य न आने पर दिनॉक 27.10.2016 को साक्ष्य वादी बंद की गई । इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी भी न आने पर दिनॉक 06.12.2017 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषक वादी की एक पक्षी बहस सुनी गई । वादी के अभिभाषक ने अपनी बहस में दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2052–2055 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में झरगदा पुत्र भूपाल 1/3,राजू पुत्र मानसिंह 1/6 कौम ठाकुर, राधेश्याम, गोपीचन्द, रमनलाल,नटवरसिंह पुत्रगण हरीसिंह व हिस्सा 1/3 कौम बघेल ठाकुर दर्ज रिकार्ड है । बलबीरसिंह एवं भूरीसिंह ने अपना 1/6–1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण 5 लगायत 9 को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दिया । जिसका नामान्तरकरण भी दर्ज हो गया । उक्त आराजी से 1/6 हिस्सा गंगासिंह पुत्र बलबीरसिंह से वादी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है । जिसका नामान्तरकरण संख्या 188 भी स्वीकृत होकर जमाबंदी में अंकन हो चुका है । शेष आराजी पर अन्य सह खातेदार मनवट के आधार पर काविज हैं । वादी उक्त आराजी में 1/35 रकवा पर इन्द्राज कराना चाहता है। चूँकि वादग्रस्त आराजी सभी खातेदारान की संयुक्त आराजी है। उक्त आराजी में से जितना रकवा जिन क्रेताओं को विक्रय किया गया है उन सभी का आराजी की प्रत्येक इन्च पर हिस्सा है । अभी वादगस्त आराजी के खसरा नम्बारान का विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है। वादी द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि वादी द्वारा क्रय की गई भूमि का उसके पक्ष में नामान्तरकरण भी दर्ज हो चुका है । यदि वादी उसके पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण से सन्तुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है । अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी खारिज किया जाता है । तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो । निर्णय आज दिनॉक 07.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर